बाल शोषण की अनिवार्य रिपोर्टिंग:
ओवीडब्ल्यू द्वारा वित्तपोषित अधिवक्ताओं के लिए प्रवाह सारणी (फ्लो चार्ट)

क्या आप "अनिवार्य रिपोर्टर" हैं?
यह निर्धारित करने के लिए क़ानून की समीक्षा करें कि आपके क्षेत्राधिकार में बाल शोषण बाल शोषण बच्चों से दुर्व्यवहार की घटनाओं को कौन रिपोर्ट करेगा। विशिष्ट अपेक्षाओं पर ध्यान दें। यदि आप अनिवार्य रिपोर्टर हैं तो पीड़ित द्वारा कोई खुलासा किए जाने के पहले ही उनको बात बता दें।

नहीं → **रुकें**

हाँ ↓

क्या पीड़ित ऐसा कोई है जिससे हुए दुर्व्यवहार की अनिवार्यतः रिपोर्टिंग करनी चाहिए?
क्या पीड़ित नाबालिग है जिससे हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग अनिवार्य है? उदाहरण के तौर पर, यदि संबंधित नाबालिग सामाजिक बंधनों से मुक्त है, सेना में है या माता/पिता है तो बाल शोषण की अनिवार्य रिपोर्टिंग करने संबंधी क़ानून उस पर लागू नहीं होंगे।

नहीं → पीड़ित की लिखित और सूचना-आधारित सहमति के बिना आप दुर्व्यवहार की रिपोर्ट न करें या पीड़ित की गोपनीयता को अन्यथा भंग न करें।

हाँ ↓

क्या पीड़ित से उस तरह का "बाल दुर्व्यवहार" किया गया है जैसा आपका क़ानून उसे परिभाषित करता है?

नहीं → पीड़ित की लिखित और सूचना-आधारित सहमति के बिना आप दुर्व्यवहार की रिपोर्ट न करें या पीड़ित की गोपनीयता को अन्यथा भंग न करें।

हाँ ↓

क्या इस मामले में रिपोर्टिंग करने से आपको छूट प्राप्त है?
उदाहरण के तौर पर, क्या वह खुलासा किसी पीड़ित-अधिवक्ता, डॉक्टर-मरीज़, वकील-मुवक्किल या ऐसे ही किसी अन्य विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित है जो पीड़ित की सहमति के बिना खुलासे को प्रतिबंधित करता है?

हाँ → पीड़ित की लिखित और सूचना-आधारित सहमति के बिना आप दुर्व्यवहार की रिपोर्ट न करें या पीड़ित की गोपनीयता को अन्यथा भंग न करें।

नहीं ↓

रिपोर्ट अवश्य दी जानी चाहिए
उपयुक्त एजेंसी को रिपोर्ट करें। यदि कई एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी का चयन करना हो तो पीड़ित से विकल्पों पर चर्चा करें। सुनिश्चित करें कि आप केवल वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो अपेक्षित है और आप वीएडब्ल्यूए या अन्य वित्तपोषकों की गोपनीयता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहे हैं। जब तक आपको पीड़ित से अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करने की लिखित रूप से सूचना-आधारित सहमति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप उतनी ही सूचना की रिपोर्ट करेंगे जितनी अनिवार्य रिपोर्टिंग क़ानून द्वारा अपेक्षित है। सुरक्षा योजना याद रखें और पीड़ित को निरंतर सहायता का भरोसा दिलायें!

VICTIM RIGHTS LAW CENTER

© 2018 पीड़ित अधिकार क़ानून केन्द्र। यह परियोजना यू.एस. न्याय विभाग के महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान संख्या 2015-TA-AX-KO25 द्वारा समर्थित थी। राय, प्राप्त की गयी जानकारी और अभिव्यक्त निर्णय लेखक के हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे यू.एस. न्याय विभाग के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।